न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी— कमर चौधरी
आई0ए0एस0

सुपुर्दगी प्रा0 पत्र सं0 130/2022
मैसर्स श्री बालाजी ट्रेडिंग कंपनी पाडली सिकराय दौसा जरिये प्रोपराईटर भीम सिंह मीना पुत्र श्री विजेन्द्र सिंह मीना निवासी खेडी शीश तहसील हिंडौन जिला करौली

बनाम

जिला रसद अधिकारी, दौसा राजस्थान

मुकदमा नंबर 02/2022 अंतर्गत धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रार्थना –पत्र सुपुर्दगीनामा

उपस्थित: 1. श्री भीम सिंह मीना, प्रार्थी स्वयं
2. श्री हितेश कुमार मीना, जिला रसद अधिकारी दौसा दौसा
3. श्री प्रहलाद मीना, विभागीय पैरोकार

निर्णय दिनांक: 28.02.2023

संक्षिप्त विवरण प्रा0 पत्र सुपुर्दगीनामा इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा प्रवर्तन दस्ते के साथ दिनांक 17.11.2022 को प्रार्थी की कंपनी के परिसर से जब्त वाहन, टैंकर एवं ड्रम व जरीकेन आदि सामान को प्रार्थी द्वारा सुपुर्दगी में दिये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र सुपुर्दगीनामा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी व जिला रसद अधिकारी दौसा तथा विभागीय पैरोकार को प्रार्थना पत्र सुपुदर्गीनामा पर सुना गया।

प्रार्थी ने अधिवक्ताओं के अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार के चलते प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में स्वयं पैरवी करने हेतु निवेदन करने पर प्रार्थी को सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र पर सुना गया। प्रार्थी ने सुपुर्दगी प्रा.पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि दिनांक 17.11.2022 को जिला रसद अधिकारी दौसा ने प्रार्थी के कंपनी परिसर से जब्त सामान जिनमें 1. स्टैण्ड के साथ खडे 5 टैंक (1) जीजे 12 बीटी 8887 क्षमता 29000 लीटर रंग सफेद टैंकर में आज दिनांक मे स्टॉक लगभग 12 हजार लीटर से 13 हजार लीटर के मध्य फ़्यूल ऑयल, (2) आरजे 32 जीबी 0833 क्षमता 30 हजार लीटर रंग लाल (श्री सांई कैरियर जयपुर अंकित है) दिनांक 17.11.2022 को जांच वक्त स्टॉक 15 हजार लीटर (लगभग आधा भरा हुआ) जिसमें पी0आर0ओ0 कैमिकल भरा हुआ है। (3) यू.पी. 86 डी 9904 क्षमता 20 हजार लीटर इण्डियन ऑयल अंकित है, जांच वक्त स्टॉक लगभग 10 हजार लीटर जिसमें आर0 पी0 ओ0 केमिकल भरा हुआ है (4) आरजे 14 जीसी 3174 क्षमता लगभग 19हजार लीटर रंग सफेद एच0पी0 अंकित है, खाली पडा हुआ है (5) आरजे 14 जी.जी. 2444 टैंक खाली पडा हुआ है। इसके अतिरिक्त 2 ट्रक टैंकर सहित (1) आरजे 20 जी.ए. 5513 क्षमता 20 हजार लीटर रंग सफेद खाली (2) यू.पी. 24 टी 7536 इंडियन ऑयल अंकित है जो भी खाली है। एक ट्रैक्टर फार्मट्रैक कंपनी नीले रंग का जिसके पीछे प्लेट नहीं है, जिसके पीछे पम्पिंग मोटर संलग्न है जिसके नंबर यू.पी. 80 बी0सी0 5318 है। साथ ही एक मोटरसाईकिल हीरो स्पलैंण्डर स्मार्ट नंबर आरजे 14 एन.डी. 1184 एवं इसके अतिरिक्त जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा कंपनी के परिसर से ड्रम 144 जिसमें से प्लास्टिक के 23 (21 नीले रंग व 2 पीले रंग के), तथा 121 लोहे के ड्रम जिनमें से 91 काले रंग के एवं 18 लाल रंग के व 12 नीले रंग के। इनके अतिरिक्त से भरे हुए 81 ड्रमों जिनमें प्रत्येक ड्रम की क्षमता 220 लीटर है, जिनका वर्गीकरण इस प्रकार है प्लास्टिक के 25 ड्रम व लोहे के 56 ड्रम है तथा 2 जरीकेन जिसमें से एक भरी हुई है तथा एक लगभग आधी भरी है। (6) महिन्द्रा मेजर जीप नंबर आरजे 20 यू.ए. 5194 (7) जनरेटर एक हरा रंग का एवं (7) 5 पम्प मोटर है। प्रार्थी द्वारा यह भी निवेदन किया गया कि उपरोक्त वर्णित सामान को पुलिस थाना मेहन्दीपुर

....निरन्तर 2 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.07.28 12:49:09 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर,दौसा

बालाजी पर सुरक्षार्थ रखा हुआ है। प्रार्थी उक्त सामान का मालिक कंपनी का प्रोपराईटर है इसलिए उक्त वर्णित सामान को सुपुदर्गी पर प्राप्त करने का अधिकारी है। उपरोक्त वर्णित सामान थाने पर खडा–खडा खराब हो रहा है जिससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होने की संभावना है। प्रार्थी अपने उक्त सामान के संबंध में समस्त दस्तावेज का अवलोकन कराने को तैयार व तत्पर है। साथ ही प्रार्थी माननीय न्यायालय के आदेशानुसार सुपुदर्गीनामा व जमानतनामा प्रस्तुत करने को तत्पर है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सुपुर्दगीनामा स्वीकार फरमाया जाकर प्रकरण में जब्तशुदा सामान को प्रार्थी को सुपुर्दगी पर दिये जाने के आदेश फरमावें।

जिला रसद अधिकारी दौसा एवं विभागीय पैरोकार सरकार ने बहस में संयुक्त रूप से दलील दी कि दिनांक 17.11.2022 को मैसर्स बालाजी ट्रेडिंग कंपनी एन.एच. 21 पर मेहन्दीपुर बालाजी व लंगडा बालाजी के मध्य पुलिया के पास स्थित परिसर पर वास्ते जांच पहुँचे। मौके पर पेट्रोलियम पदार्थों के अवैध रूप से भंडारण, मिश्रण व विकय होना पाया गया। मौके पर बालाजी ट्रेडिंग कंपनी के परिसर के अंदर अस्थायी स्टैंड के साथ पांच टैंकर बिना वाहन के खडे पाये गये जिनमें से तीन टैंकर भरे हुए व दो खाली पाये गये। तीन भरे हुए टैंकरों में से टैंकर नंबर जी.जे. 12 बी.टी. 8827 जिसमें लगभग 12000 लीटर, टैंकर नंबर आर.जे. 32 जी.बी. 0833 जिसमें 15000 लीटर स्टॉक, टैंकर नंबर यू0पी 86 डी 9904 जिसमें स्टॉक 10000 लीटर है। परिसर में ही दो टैंकर मय वाहन खाली खडे हुए पाये गये जिनका नंबर आरजे 20 जी.ए. 5513 व यू0पी0 24 टी 7536 है। एक फार्मट्रैक टैक्टर नीले रंग का जिस पर नंबर प्लेट अंकित नहीं है। ट्रैक्टर के पीछे पंपिंग मोटर लगी हुई है जो पाईप द्वारा भूमिगत टैंक से जुडी हुई है। मौके पर 144 खाली ड्रम पाये गये है तथा 81 भरे हुए ड्रम पाये गये है जिनमें से 75 ड्रमों में काला ऑयल जैसा पदार्थ एवं 6 ड्रमों में डीजल जैसा पदार्थ भरा हुआ पाया गया। प्रति ड्रम 210 लीटर क्षमता के होना पाये गये। दो जरीकेन जिनमें एक में 50 लीटर व दूसरा आंशिक भरा हुआ पाया गया। परिसर के अंदर एक महिन्द्रा मेजर जीप जिसका नंबर आरजे 20 यू.ए. 5194, एक जनरेटर तथा 5 पम्प मोटर एक मोटर साईकिल हीरो स्पलेंडर नंबर आरजे 14 एन.डी. 1184 व एक बिजली से संचालित मिक्स करने का यंत्र पाया गया। परिसर में स्थित कमरे के अंदर सील लगाने की मशीन, 21 खाली सील, 3 ढक्कननुमा सील पाई गई। मौके पर उपस्थित प्रतिनिधि श्री जगमोहन मीना ने बताया कि इस परिसर में डीजल जैसे पेट्रोलियम पदार्थों, काला ऑयल बाहर से मंगवाकर बेचान का कार्य किया जाता है। फर्म के संचालित व्यापार के संबंध में किसी प्रकार के वैध दस्तावेज जैसे अनुज्ञप्ति, बिल आदि प्रस्तुत नहीं किये गये। इस प्रकार परिसर में पेट्रोलियम पदार्थों का अवैध तरीके से भंडारण, मिश्रण व बेचने का कार्य होना पाया गया। मौके पर लोहे के ड्रमों से सैंपल ए. बी. सी. लिया जाकर बी सैंपल एफ.एस.एल. प्रयोगशाला को जांच हेतु भेजा गया जिसका फलैश प्वॉइन्ट 58 डिग्री सैंटीग्रेट होना पाया गया जो पेट्रोलियम वर्ग ख के अंतर्गत आता है। परिसर में मिले प्लास्टिक के ड्रमों से सैंपल डी. ई. एफ.सैंपल लिया जाकर सैंपल ई एफ.एस.एल. प्रयोगशाला को जांच हेतु भेजा गया। जांच में इस सैंपल का फलैश प्वॉइन्ट [illegible] पाया गया। परिसर में खडे बिना वाहन वाले टैंकर जी.जे. 12 बी.टी. 8827 से सैंपल जी.[illegible]आई. लिया जाकर सैंपल एच को एफ.एस.एल. प्रयोगशाला को जांच हेतु भेजा गया [illegible] इस सैंपल का फलैश प्वॉइन्ट 12 डिग्री सैंटीग्रेट होना व अत्यधिक ज्वलनशील [illegible]।

इस प्रकार फर्म बालाजी ट्रेडिंग कंपनी के संचालक के द्वारा पेट्रोलियम पदार्थों के अवैध भंडारण, मिश्रण व बेचान करना पाया गया। फर्म के द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के तहत जारी मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का

....निरन्तर 3 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Quamer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.07.28 12:49:09 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर,दौसा

विनियमन तथा अनाचार निवारण) आदेश 2005 के क्लॉज 2 (क्यू) (आर), 3 (4) (6), 4 तथा पेट्रोलियम उत्पाद (उत्पादन, भंडारण एवं प्रदाय का रखरखाव) आदेश 1999 के क्लॉज 2(आई) व विलायक रैंफिनेट व स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भंडारण और ऑटोमोबाईल में उपयोग व निवारण) आदेश 2000 के संबंध में स्पष्टीकरण (12) दिनांक 4.6.2002 द्वारा उप विस्फोटक नियंत्रक जयपुर वास्ते जिला रसद अधिकारी दौसा तथा जिला मजिस्ट्रेट व उपायुक्त प्रथम, खाध विभाग में अंकित बिन्दुओं का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि पेट्रोलियम पदार्थों के अवैध भंडारण, परिवहन मिलावट व विक्रय की सूचना जिला रसद अधिकारी दौसा को मिलने पर जिला रसद अधिकारी दौसा ने मय प्रवर्तन दस्ते तथा पुलिस थाना मेहन्दीपुर बालाजी के जाप्ते एवं तहसीलदार सिकराय की मौजूदगी में श्री बालाजी ट्रेडिंग कंपनी (राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 21 पर मेहन्दीपुर बालाजी व लंगडा बालाजी के मध्य पुलिया के पास स्थित) की जांच की गई। मौके पर बालाजी ट्रेडिंग कंपनी के परिसर के अंदर अस्थायी स्टैंड के साथ पांच टैंकर बिना वाहन के खडे पाये गये जिनमें से तीन टैंकर भरे हुए व दो खाली पाये गये। तीन भरे हुए टेंकरों में से टैंकर नंबर जी.जे. 12 बी.टी. 8827 जिसमें लगभग 12000 लीटर, आर.जे. 32 जी.बी. 0833 जिसमें 15000 लीटर स्टॉक, यू0पी 86 डी 9904 जिसमें स्टॉक 10000 लीटर पदार्थ भरा हुआ है। परिसर में ही दो अन्य टैंकर मय वाहन खाली खडे हुए पाये गये जिनका नंबर आर.जे. 20 जी.ए . 5513 व यू0पी0 24 टी 7536 है। एक फार्मट्रैक टैक्टर नीले रंग का जिस पर नंबर प्लेट अंकित नहीं है एवं ट्रैक्टर के पीछे पंपिंग मोटर लगी हुई पाई गई जो पाईप द्वारा भूमिगत टैंक से जुडी हुई थी। मौके पर 144 खाली ड्रम पाये गये है तथा 81 भरे हुए ड्रम पाये गये है जिनमें से 75 ड्रमों में काला ऑयल जैसा पदार्थ एवं 6 ड्रमों में डीजल जैसा पदार्थ भरा हुआ पाया गया। प्रति ड्रम 210 लीटर क्षमता के होना पाये गये। दो जरींकेन जिनमें एक में 50 लीटर व दूसरा आंशिक भरा हुआ पाया गया। परिसर के अंदर एक महिन्द्रा मेजर जीप जिसका नंबर आर.जे. 20 यू.ए. 5194, एक जनरेटर तथा 5 पम्प मोटर एक मोटर साईकिल हीरो स्पलेंडर नंबर आर.जे. 14 एन.डी. 1184 व एक बिजली से संचालित मिक्स करने का यंत्र पाया गया। परिसर में स्थित कमरे के अंदर सील लगाने की मशीन, 21 खाली सील, 3 ढक्कननुमा सील पाई गई। मौके पर उपस्थित प्रतिनिधि ने डीजल जैसे पेट्रोलियम पदार्थों, काला ऑयल बाहर से मंगवाकर बेचान का कार्य किये जाने की जानकारी दी। फर्म के द्वारा संचालित व्यापार के संबंध में किसी प्रकार के वैध दस्तावेज जैसे अनुज्ञप्ति, बिल आदि प्रस्तुत नहीं किये गये। इस प्रकार पेट्रोलियम पदार्थों का अवैध तरीके से भंडारण, मिश्रण व बेचने का कार्य होना पाया गया। मौके से जब्त द्रव पदार्थो में से जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा सैंपल लिये जाकर एफ.एस.एल. को भिजवाये गये जिनका एफ.एस.एल. रिपोर्ट के अनुसार फ्लैश प्वॉइन्ट 58 डिग्री सैंटीग्रेट एवं दूसरे का फ्लैश प्वॉइन्ट 12 डिग्री सैंटीग्रेट होना व अत्यधिक ज्वलनशील होना पाया गया। प्रार्थी के द्वारा उक्त पेट्रोलियम पदार्थ को स्टॉक करने हेतु किसी सक्षम प्राधिकारी या एजेन्सी से कोई अनुज्ञप्ति/लाईसेंस नहीं लिया जाना पाया गया, न ही फैक्ट्री एवं बॉयलर्स से कोई लाईसेंस अथवा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना पाया गया। उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक जयपुर के द्वारा जिला रसद अधिकारी जयपुर व जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर व उपायुक्त प्रथम, खाद्य विभाग को पेट्रोलियम पदार्थों का उनके फ्लैश प्वॉइन्ट के अनुसार व वर्गीकरण किया गया है जिसके अनुसार पेट्रोलियम पदार्थ जिनका फ्लैश प्वॉइन्ट 23 अंश से.ग्रे. से नीचे होता है वह सभी वर्ग 'क' में एवं जिनका फ्लैश प्वॉइन्ट 23 अंश से.ग्रे. से

....निरन्तर 4 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.07.28 12:49:09 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर,दौसा

अधिक एवं 65 अंश से.ग्रे. से नीचे होता है वे वर्ग 'ख' में तथा जिनका फ्लैश प्वॉइन्ट 65 अंश से.ग्रे. से अधिक एवं 93 से.ग्रे. से नीचे होता है ये सभी वर्ग 'ग' में वर्गीकृत किये गये है। पेट्रोलियम पदार्थो के भंडारण हेतु विस्फोटक विभाग द्वारा पेट्रोलियम अधिनियम 1934 की धारा में दी गई छूट के अलावा अनुज्ञप्ति की आवश्यकता होती है। 30 लीटर पेट्रोलियम वर्ग क, 2500 लीटर अविपुल पेट्रोलियम वर्ग ख एवं 5000 लीटर वर्ग ग के भंडारण बिना अनुज्ञप्ति के किया जा सकता है। प्रार्थी द्वारा उक्त मात्रा से अधिक पेट्रोलियम पदार्थ का भंडारण किया गया है। प्रार्थी के परिसर से जब्त उक्त पदार्थ अत्यधिक ज्वलनशील होने से तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के तहत जारी मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल(प्रदाय और वितरण का विनियमन तथा अनाचार निवारण) आदेश 2005 के क्लॉज 2 (क्यू) (आर), 3 (4)(6), 4 तथा पेट्रोलियम उत्पाद(उत्पादन, भंडारण एवं प्रदाय का रखरखाव) आदेश 1999 के क्लॉज 2 (आई) व विलायक रैफीनेट व स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भंडारण और ऑटोमोबाईल में उपयोग व निवारण) आदेश 2000 के संबंध में स्पष्टीकरण(12) दिनांक 4.6. 2002 का उल्लंघन किये जाने से प्रार्थी को उक्त पेट्रोलियम उत्पाद मय टैंक सुपुर्दगी में दिया जाना हम न्यायोचित नहीं समझते है। प्रार्थी द्वारा बिना अनुज्ञा पत्र के एवं बिना सक्षम प्राधिकारी की अनापत्ति के पेट्रोलियम उत्पादों का अवैध परिवहन उक्त जब्त वाहनों जिसमें खाली 02 ट्रक टैंकर सहित जिनके नंबर क्रमशः आर.जे. 20 जी.ए. 5513 एवं यू.पी. 24 टी 7536 से किया जाना प्रतीत होता है, जिसका विस्तृत विवेचन प्रार्थना पत्र 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत न्यायालय में पृथक से विचाराधीन प्रकरण के निस्तारण के समय तय किया जाना है। अतः उक्त दोनों जब्त ट्रक टैंकरो को जमानत के तौर पर उनके मूल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आर0सी0) न्यायालय में जमा कराने की शर्त पर तथा महिन्द्रा मेजर जीप नंबर आर.जे. 20 यू0ए0 5194 तथा मोटरसाईकिल हीरो स्पलैंडर स्मार्ट नंबर आर. जे. 14 एन0डी0 1184 को जो कि पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन में उपयोग में लिया जाना प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध नहीं होने से न्यायालय के समक्ष इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर कि न्यायालय को उक्त वाहनों की जब भी आवश्यकता होगी, न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु प्रार्थी सदैव पाबंद रहेगा। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सुपुर्दगीनामा आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सुपुर्दगीनामा आंशिक स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी को दो ट्रक टैंकर सहित जिनके नंबर क्रमशः आर.जे. 20 जी. ए. 5513 एवं यू.पी. 24 टी 7536 की मूल आर0सी0 न्यायालय में जमा कराने की शर्त पर तथा महिन्द्रा मेजर जीप नंबर आर.जे. 20 यू0ए0 5194 तथा मोटरसाईकिल हीरो स्पलैंडर स्मार्ट नंबर आर.जे. 14 एन0डी0 1184 को शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर तथा आर0सी0 के सत्यापन के बाद प्रार्थी को सुपुर्दगी पर दिये जाने का निर्णय पारित किया जाता है। यह सुपुदर्गीनामा मूल प्रकरण 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के विचाराधीन प्रकरण सं. 02/222 के संलग्न रहे।

(कमर चौधरी)
जिला कलक्टर, दौसा

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.07.28 12:49:09 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 28 फरवरी, 2023 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया।

(कमर चौधरी)
जिला कलक्टर, दौसा